राजस्थान सरकार

न्यायालय जिला कलक्टर, शाहपुरा

पीठासीन अधिकारी टीकम चन्द बोहरा (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 11/2023 अपील

लोक देवता वीर तेजाजी देवस्थान ग्राम जसवंतपुरा तहसील जहाजपुर जिला शाहपुरा के समस्त ग्रामवासी जसवंतपुरा की ओर से अधिकृतः–

1. रामकरण पुत्र लादू गुर्जर
2. प्रभु पुत्र मोहन गुर्जर
3. सुरेश पुत्र कैलाश गुर्जर
4. सत्यनारायण पुत्र भैरू गुर्जर
5. छोटू पुत्र मोहन गुर्जर
6. भैरू पुत्र हजारी गुर्जर
7. देबी पुत्र लादू गुर्जर
8. हंसराज पुत्र बरदा रेगर
9. गोपी पुत्र मोहन गुर्जर
10. धर्मराज पुत्र करण गुर्जर
11. रामलाल पुत्र लादू गुर्जर
12. कैलाश पुत्र मोहन गुर्जर
13. शांति लाल पुत्र नंदा भील
14. कालू पुत्र घीसा चमार
15. सांवरा पुत्र नन्दा भील
16. रामप्रसाद पुत्र मोहन गुर्जर
17. प्रहलाद पुत्र छगना भील
18. रामप्रसाद पुत्र रामेश्वर बागरिया
19. सत्तू पुत्र रामेश्वर बागरिया
20. सोजी पुत्र रामनिवास बागरिया
21. गोपाल पुत्र रामनिवास बागरिया

समस्त निवासियान ग्राम जसवंतपुरा तहसील जहाजपुर, जिला शाहपुरा।

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये नायब तहसीलदार पण्डेर तहसील जहाजपुर जिला शाहपुरा।

–रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय तहसीलदार जहाजपुर प्रकरण संख्या 01/2023 निर्णय दिनांक 07.02.2023

उपस्थित –

1. श्री लालाराम गुर्जर अधिवक्ता – अपीलार्थीगण की ओर से
2. श्री अतुल जोशी अधिवक्ता – विपक्षी की ओर से

(मुहर: न्यायालय जिला कलक्टर, शाहपुरा (राज.) सत्यमेव जयते)

निर्णय

दिनांक : 05.02.2024

1. अपीलार्थीगण की ओर से अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,

(हस्ताक्षर) जिला कलक्टर शाहपुरा

1956 विरूद्ध नायब तहसीलदार पण्डेर प्रकरण संख्या 01/2023 निर्णय दिनांक 07.02.2023 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि पटवार हल्का पण्डेर द्वारा नायव तहसीलदार पण्डेर जिला शाहपुरा को मौका रिपोर्ट प्रस्तुत कर अवगत कराया गया कि ग्राम पण्डेर की आराजी संख्या 3594/2 कुल रकबा 16.19 हेक्टेयर 1888 वर्गफीट भूमि पर पक्का निर्माण कर अतिचार किया है। उक्त रिपोर्ट के आधार पर अतिक्रमणकारी के विरूद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 91 नियम 3 के तहत् नोटिस जारी कर निर्माण स्थल पर चस्पा कर दिनांक 24.01.2023 को तलब किया। नोटिस की पालना में ग्रामवासी जसवंतपुरा के अधिकृत प्रतिनिधिगण दिनांक 24.01.2023 को उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत कर उक्त स्थान को ग्रामवासियों द्वारा तेजाजी मंदिर के पास भक्तों के लिए धर्मशाला हेतु पक्का निर्माण कर अतिक्रमण करना स्वीकार किया। उक्त स्वीकारोक्ति के आधार पर अतिक्रमी मानकर दिनांक 07.02.2023 को प्रकरण में बेदखली का आदेश पारित किया गया। निर्णय दिनांक से अपील पेश करने में देरी के समय को कण्डोन किये जाने हेतु धारा 05 कानून मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अलग से पेश कर निवेदन किया अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को अपास्त किया जाये।

2. प्रस्तुत अपील इस न्यायालय में दिनांक 06.11.2023 को पंजीबद्ध की जाकर विपक्षी को उजर जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किया गया। दिनांक 05.02.2024 को विपक्षी नायब तहसीलदार, पण्डेर की ओर से अधिवक्ता श्री अतुल जोशी द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत किया गया।

3. सर्वप्रथम अपील मेमों में अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम मियाद के बिन्दु पर विचार किया गया। अपीलार्थी ने मियाद के समर्थन मे शपथ पत्र पेश किया है। न्यायहित में नैसर्गिक न्याय सिद्धान्त को दृष्टिगत रखा जाकर अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 परिसीमा अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करते हुये अपील अपीलार्थी मियाद में शुमार करने के आदेश दिये जाते हैं।

4. अपीलार्थी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में अपील प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि ग्राम पण्डेर की आराजी संख्या 3594/2 कुल रकबा 16.19 हेक्टेयर 1888 वर्गफीट भूमि पर ग्रामवासी जसवन्तपुरा द्वारा तेजाजी मंदिर के पास भक्तों के लिए धर्मशाला हेतु पक्का निर्माण कर रखा है। उक्त निर्माण तेजाजी मंदिर की धर्मशाला हेतु ग्राम जसवंतपुरा व आस–पास के गावं वालों ने मिलकर तेजाजी मंदिर की धर्मशाला का निर्माण बाबत् चंदा एकत्रित कर निर्माण करवाया है। अपीलाथीगण द्वारा निजी रूप से काई निमार्ण नहीं कराया गया है। उक्त तेजाजी मंदिर व तेजाजी का देवस्थान ग्रामवासी जसवंतपुरा व उसके आस–पास के गांवों की आस्था का केन्द्र है परन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सभी ग्रामवासियों को अलग–अलग नोटिस नहीं देकर एक ही नोटिस चस्पा किया गया। रिपोर्टकर्ता पटवारी हल्का कभी भी मौके पर नहीं आया, ना ही पटवार हल्का द्वारा इस हेतु कोई सूचना अपीलार्थीगण को दी तथा साथ ही मामले में पटवार हल्का के बयान भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस मामले में नहीं लिये गये ना ही पटवारी हल्का को तलब किया। अतः उक्त निर्माण को ध्वस्त ना किया जावे।

5. विपक्षी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में अवगत कराया गया कि ग्राम पण्डेर की आराजी संख्या 3594/2 रकबा 16.19 सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमि है। समस्त ग्रामवासी जसवन्तपुरा द्वारा दिनांक 24.01.2023 को लिखित में जवाब देकर उक्त विवादित आराजी पर तेजाजी मन्दिर के पास धर्मशाला हेतु पक्का निर्माण कर अतिक्रमण करना स्वीकार किया गया

जिला कलक्टर
शाहपुरा

है। अपीलार्थीगण द्वारा किया गया पक्का निर्माण नियमन के योग्य नहीं है।

6. प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का सावधानी पूर्वक अध्ययन एवं परीक्षण करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पंहुचते है कि अपीलाधीन भूमि ग्राम पण्डेर की आराजी खसरा नम्बर 3594/2 रकवा 16.19 हेक्टेयर राजकीय भूमि है तथा सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आरक्षित है। इस भूमि का कोई भी भाग अपीलार्थीगण को आवण्टित नहीं है न ही उन्होंने धार्मिक संस्था के लिए भूमि के उपयोग की विधिवत् अनुमति सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त ही है। अपीलार्थी उक्त भूमि पर विशुद्ध रूप से अतिक्रमी है और राजकीय भूमि पर किसी भी तरह के कब्जे या निर्माण का उन्हें विधिक अधिकार नहीं है। नायब तहसीलदार पण्डेर द्वारा प्रकरण संख्या 01/2023 में अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.02.2023 में कोई विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि नहीं होने से उक्त आदेश की क्रियान्विति रोका जाना उचित नहीं है। अतएव–

आदेश

7. अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 नायब तहसीलदार पण्डेर प्रकरण संख्या 01/2023 निर्णय दिनांक 07.02.2023 खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय एवं इस अपील न्यायालय का अमूल्य समय नष्ट करने तथा राजकीय भूमि को नुकसान पहुंचाने के लिए 21000/– इक्कीस हजार रूपये की शास्ति लगायी जाती है जो राजस्व मद 0029 में अपीलार्थीगण द्वारा जमा करायी जायेगी तथा भू–राजस्व की बकाया की तरह वसूलनीय होगी।

8. अन्तर्निहित शक्तियों को प्रयोग करते हुए न्यायालय ओदशित करता है कि पण्डेर थानाधिकारी ग्राम पण्डेर की आराजी संख्या 3594/2 कुल रकबा 16.19 हेक्टेयर 1888 वर्गफीट भूमि पर अतिक्रमण हटाने हेतु पर्याप्त पुलिस बल के साथ स्वयं मौके पर उपस्थित रहे और अतिक्रमियों द्वारा न्यायालय के आदेश की अनुपालना में व्यवधान पैदा करने की दशा में उनके विरूद्ध कड़ी कानूनी कार्यवाही करें।

9. अतिक्रमण हटाने का खर्चा अपीलार्थीगण से पृथक से नायब तहसीलदार पण्डेर द्वारा वसूल किया जाएगा। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, पण्डेर एवं थानाधिकारी, पण्डेर तहसील जहाजपुर जिला शाहपुरा को पालनार्थ प्रेषित की जावें।

10. निर्णय आज दिनांक 05.02.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर शाहपुरा (राज.)

(टीकम चन्द बोहरा)
जिला कलक्टर,
शाहपुरा

जिला कलक्टर
शाहपुरा